संख्या-289/2023/502रासनि/23-1-23/05आरएसएन/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 22 मार्च, 2023

विषय:वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत लखनऊ मण्डल के 09 कार्यों के विशेष मरम्मत कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-6640सी/लखनऊ/जी-20/22-23, दिनांक 10.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 मद में शासनादेश संख्या-114/2023/126रासनि/23-1-23/001-05आरएसएन/2023, दिनांक 18.01.2023 द्वारा स्वीकृत लखनऊ मण्डल के 09 कार्यों के विशेष मरम्मत कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-7 पर अंकित जनपद लखनऊ के 01 कार्य "जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत लखनऊ कानपुर मार्ग के कि0मी0-7, 8, 9, 10, 11 व 12(006) के कि0मी0-488(470) से 493 तक डिवाइडर फुटपाथ की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य" के स्थान पर "जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत लखनऊ कानपुर मार्ग के किमी0-7, 8, 9, 10, 11 एवं 12(006) तक डिवाइडर फुटपाथ की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य" संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-114/2023/126रासनि/23-1-23/001-05आरएसएन/2023, दिनांक 18.01.2023 में अंकित तालिका के क्रमांक-7 पर अंकित लखनऊ के 01 कार्य "जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत लखनऊ कानपुर मार्ग के कि0मी0-7, 8, 9, 10, 11 व 12(006) के कि0मी0-488(470) से 493 तक डिवाइडर फुटपाथ की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य" के स्थान पर "जी-20 शिखर सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रमों के दृष्टिगत लखनऊ कानपुर मार्ग के किमी0-7, 8, 9, 10, 11 एवं 12(006) तक डिवाइडर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फुटपाथ की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य" पढ़ा व समझा जाय। मार्ग की लम्बाई व लागत में कोई संशोधन नहीं है।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-114/2023/126रासनि/23-1-23/001-05आरएसएन/ 2023, दिनांक 18.01.2023 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-289/2023/502रासनि(1)/23-1-23-05आरएसएन/2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।